GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

RB/CEI/9/2004

NO. 2001/CEI/CT/19

New Delhi, dated /2/7/2004.

Addressed to :-

As per list attached

Subject – Report of the Committee on issue of Earnest Money and Security Deposit from Public Sector Undertakings (PSUs)

A Committee of 3 EDs viz. EDRS (G), EDF (S) & EDCE (G) was nominated to make recommendations on the issues of Levy/Waival of Earnest Money and Security Deposit from PSUs. Accordingly, the Committee have gone through the existing instructions on the subject & practice being followed in other major Government departments in detail and submitted its recommendations which have been approved by the Board (ME, MM, FC).

The recommendation concerning to the works contract is given below -

"In works contract, no general exemption for Earnest Money & Security Deposit is to be given to the PSUs. However, for the units which are wholly owned by the Railways like RITES, IRCON, Konkan Railway Corporation Ltd. CRIS, Rail Tel Corporation etc., exemption may be given both for Earnest Money and Security Deposit."

The recommendation in connection with Stores contracts would be separately circulated by the Stores Directorate.

The above recommendation would be applicable with prospective effect and will preclude contracts, which have already been entered into or have been called and are under process of finalization.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(PARMOD KUMAR) EDCE (G) RAILWAY BOARD

D:\My Documents\CE- I\Tender and Contract Matters\Committee on Earnest Money for PSUs-2.doc/Page No.18

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)



आर बी/सी ईन/9 /2004

सं. 2001/सी ई-I/सी टी/19

नई दिल्ली, दिनांक : 12.7 04

प्रेषित:-

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बयाना तथा प्रतिभूति जमा के मुद्दे पर बनी समिति की रिपोर्ट.

सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों से बयाना तथा प्रतिभूति जमा की वसूली/अधित्याग करने संबंधी मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए 3 कार्यपालक निदेशकों यथा कार्यपालक निदेशक रेल भंडार (जी), कार्यपालक निदेशक वित्त (भंडार) तथा कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी) की एक समिति नामित की गई थी. तदनुसार, इस समिति ने इस पर मौजूद अनुदेशों तथा अन्य प्रमुख सरकारी विभागों में अपनायी जा रही पद्धित का विस्तृत अध्ययन किया है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है जिन्हें बोर्ड (सदस्य इंजीनियरी, सदस्य यांत्रिक, वित्त आयुक्त) ने अनुमोदित कर दिया है.

निर्माण देकों से संबंधित सिफारिश नीचे दी गई है :-

"निर्माण ठेकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बयाना तथा प्रतिभूति जमा के लिए कोई सामान्य छूट नहीं दी जानी है. लेकिन, उन इकाइयों को, जो रेलों के पूर्ण स्वामित्व में है जैसे राइट्स, इरकॉन, कोंकण रेल निगम लि., क्रिस, रेल टेल निगम आदि को बयाना तथा प्रतिभूति जमा दोनों में छूट दी जाए".

भंडार ठेकों से संबंधित सिफारिश भंडार निदेशालय द्वारा अलग से परिपत्रित की जाएगी.

उपर्युक्त सिफारिश भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी और वे ठेके शामिल नहीं होंगे जो प्रदान किए जा चुके हैं अथवा आमंत्रित किए गए हैं और जो अंतिम रूप दिए जाने के प्रक्रियाधीन है.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

प्रमोद जुमाट

(प्रमोद कुमार)

कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)

रेलवे बोर्ड.